रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 1995/आषाढ़ 2, 1917
No. 365] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 23, 1995/ASADHA 2, 1917

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 जून, 1995

का.आ. 570(अ):—यत: केन्द्र सरकार की राय है कि देश में लघु तथा मझोले समाचार पत्रों, जिनकी अखबारी कागज की वार्षिक मांग 200 मी. टन अथवा इससे कम है, को अखबारी कागज का बाजार मूल्यों पर समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए अखबारी कागज, जो एक आवश्यक वस्तु है, की आपूर्ति बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है ।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

1. इस आदेश का नाम अखबारी कागज (उत्पादन और वितरण विनियमन) आदेश, 1995 है ।

2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2 परिभाषाएं :—इस आदेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "नियंत्रक" से केन्द्र सरकार का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया हो ।

(ख) "विनिर्माता" से अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-1 के तहत पंजीकृत अखबारी कागज का विनिर्माता अभिप्रेत है ।

(ग) अखबारी कागज में ऐसा कागज अभिप्रेत है जो समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की छपाई व प्रकाशन के लिए प्रयोग किया जाता है और किसी अनुसूचित मिल द्वारा देश में निर्मित विषम आकार का अखबारी कागज व चमकीला अखबारी कागज शामिल होगा और नियंत्रक द्वारा इस रूप में प्रमाणित किया गया हो ।

(घ) "मात्रा" से भार की मात्रा अभिप्रेत है ।

(ङ) "बिक्री मूल्य" से अखबारी कागज पर भाड़ा, केन्द्रीय बिक्री कर और स्थानीय करों को छोड़कर मूल्य अभिप्रेत है ।

(च) "पुदरा बिक्री मूल्य" से सभी करों, परिवहन प्रभारों और अन्य शुल्कों सहित वह अधिकतम मूल्य अभिप्रेत है जिस पर अखबारी कागज को बिक्री उपभोक्ताओं की जाती है ।

3. अखबारी कागज के उत्पादन और वितरण का विनियमन :—लघु तथा मझौले समाचार पत्रों जिनकी वार्षिक मांग 200 मी. टन या इससे कम है, की कुल मांग प्रति वर्ष 1.2 लाख मी. टन से अधिक होती है जो प्रति माह 10,000 मी. टन बनता है और यह कुल अखबारी कागज के उत्पादन का करीब एक तिहाई है । इस प्रकार, समय-समय पर यथा संशोधित अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-1 में दर्ज सभी मिलों के लिए अपने वार्षिक उत्पादन का 1/3 भाग इस मांग को पूरा करने के लिए यथा अनुपात नियत करना आवश्यक होगा ।

लघु और मध्यम समाचार पत्रों की वार्षिक आवश्यकता को भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित किया जायेगा । ये समाचार पत्र किसी भी निर्धारित अखबारी कागज मिल से 12 समान मासिक किस्तों में माल उठायेंगे । यदि कोई समाचार पत्र किसी मास विशेष में अपना माल नहीं उठाता है तो उस माह की उसकी पात्रता समाप्त हो जायेगी । अखबारी कागज मिल कालातीत स्टाक को अपनी इच्छा से बेच सकती है ।

4. लेखों आदि का रखा जाना और पेश किया जाना :—प्रत्येक विनिर्माता अखबारी कागज के उत्पादन और विक्रय से संबंधित ऐसी बहियां, लेखे और अन्य अभिलेख रखेगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार अपेक्षा करे । वे केन्द्रीय सरकार को उनके द्वारा उत्पादित तथा लघु और मध्यम समाचार-पत्रों को बेचे गये कुल अखबारी कागज जो भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित किया गया है, का विवरण प्रस्तुत करेंगे ।

5. लेखों का निरीक्षण तथा विवरणी रिपोर्ट प्रस्तुत करना :—प्रत्येक विनिर्माता और अखबारी कागज के उत्पादन और विक्रय के संबंध में उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर और ऐसी अवधि के भीतर जो इस निमित्त निश्चित की जाए ।

(क) ऐसी बहियां, लेखे, अभिलेख या अन्य दस्तावेज निरीक्षण के लिए पेश करेगा और उपलब्ध करायेगा, तथा

(ख) व्यापार से संबंधित ऐसी विवरणियां और अन्य सूचना देगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

6. प्रत्यायोजन :—शक्तियों का प्रत्यायोजन इस आदेश के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी अथवा किसी भी शक्ति का प्रयोग नियंत्रण भी कर सकेगा ।

[फा. सं 4 (10)/94-कागज]

श्रीमती प्रतिभा करन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Indl. Policy & Promotion)

ORDER

New Delhi, the 23rd June, 1995

S.O. 570(E).—Where as the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, for maintaining the supply of newsprint for securing equitable distribution at market prices of newsprint as essential commodity, to small and medium newspapers in the country whose requirement is 200 MT or less of newsprint per annum.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), and without prejudice to the Newsprint Control Order, 1962, the Central Government hereby makes the following order namely :—

1. Short title and commencement :—

(1) This Order may be called the Newsprint Regulation of Production and Distribution) Order, 1995.

(2) It shall come into force at once.

2. Definitions :—In this Order unless the context otherwise requires :—

(a) "Controller" means an Officer of the Central Government duly appointed as such by Notification in the Official Gazette.

(b) "Manufacturer" means manufacturer of Newsprint registered under Schedule I of the Newsprint Control Order, 1962.

(c) Newsprint means paper used for printing and publication of newspapers|periodicals and shall include odd size newsprint and glazed newsprint produced indigenously by any scheduled mill and certified to be as such by the controller.

(d) "Quantity" means quantity of weight.

(e) "sale price" means the price exclusive of freight, Central Sales Tax and local taxes on newsprint.

(f) "retail sale price" means the maximum price at which newsprint may be sold to the consumers, inclusive of all taxes, transport charges and other dues.

3. Regulation of production and distribution of newsprint :—The total requirement of the small and medium newspapers whose annual requirment is 200 MT or less, comes to over 1.2 lakh MT per annum which works out to 10,000 MT per month and roughly 1|3 of the total newsprint production. As such, all the mills listed in Schedule I to the Newsprint Control Order, 1962, as amended from time to time, are required to earmark 1|3 of their annual production to meet this demand on pro-rata basis. The annual requirement of the small and medium newspapers will be determined by the Registrar of Newspapers for India. These Newspapers would lift the stocks from any of the scheduled newsprint mills in 12 equal monthly instalments. In case any newspaper defaults in lifting its stock for a particular month, its entitlement for that particular month will lapse. The newsprnit mills will be free to dispose off the lapsed stock.

4. Maintenance and production of accounts etc.—Every manufacturer shall keep such books, accounts and other records with regard to the production and sale of newsprint as the Central Government may require. They shall also furnish to the Central Government a statement of the total newsprint produced and sold by them to small and medium newspapers as determined by the Registrar of Newspapers for India.

5. Inspection of accounts and furnishing of returns :—Each manufacturer and|or person employed by him in connection with the production and sale of newsprint shall, on being required so to do by the Central Government and within such period as may be allowed in this behalf :

(a) produce and make available for inspection, such books, accounts records or other documents and

(b) furnish such returns and other information relating to the business as may be specified by the Central Government.

6. Delegations :—All or any of the powers exercisable by the Central Government under this Order shall be exercisable also by the Controller.

[F. No. 4(10)|94-Paper]
MR. PRATIBHA KARAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995